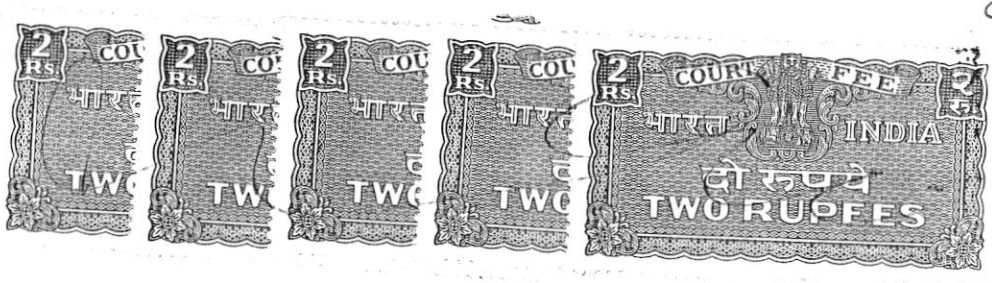

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

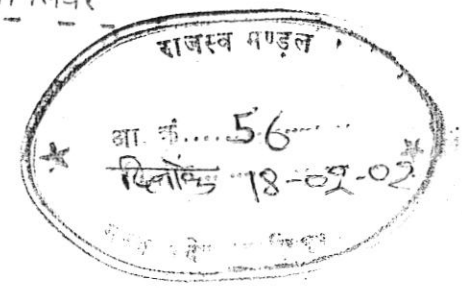

1. महादेव प्रसाद तनय जगन्नाथ प्रसाद
निवासी- सिविल लाइन्स सागर
2. गिरजेश प्रसाद तनय दुर्गाप्रसाद सोनी
निवासी-सिविल लाइन्स सागर

--- अपीलान्टस्

:: बनाम ::

1. म0प्र0 शासन द्वारा उपपंजीयक मुद्रांक
पथरिया तह0 पथरिया जिला दमोह
2. जानचन्द तनय हरप्रसाद जैन
निवासी बड़ा बाजार सागर
3. गोपालप्रसाद तनय गौरीशंकर मुखरैया
निवासी- ग्राम आलापुर तह0 पथरिया जिला दमोह म0प्र0

--- रेस्पान्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 47 भारतीय मुद्रांक अधिनियम

उपरोक्त अपीलान्टस् श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 549 बी/105 सन् 1998-99 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2001 के विरुद्ध, जिसके द्वारा जिला पुंजीयक मुद्रांक दमोह (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 86 बी/105/95-96 के आदेश दिनांक 3-2-1999 को यथावत रख है, के विरुद्ध निम्नांकित आधारों पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत है :---

1. यह कि, विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर ने अपीलान्टस् द्वारा विवादित भूमि के मूल्यांकन को सिद्ध करने के भार के संबंध में जो आपत्ति उठाई थी, उस बिन्दु पर विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर ने कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है । इस प्रकार विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि, विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर ने इस वैधानिक स्थिती को स्वीकार नहीं करने में भूल की है कि विक्रीत संपत्ति के मूल्य को सिद्ध करने का भार स्वयं उपपंजीयक मुद्रांक का होता है मात्र मूल्यांकन के संबंध में किसी कर्मचारी का प्रतिवेदन स्वयं साक्ष्य नहीं है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 365/दो/2002 जिला– दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 549/बी–105/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2001 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मौजा पथरिया खास, प.ह.नं.10 स्थित भूमि खसरा नम्बर 452/1 रकवा 3.454 हैक्टेयर में से 3.157 हैक्टेयर (7.00 एकड) भूमि महादेव प्रसाद एवं गिरजेश सोनी, ज्ञान चन्द्र एवं गोपाल प्रसाद मुखरैया, साकिन, आलापुर, तहसील पथरिया, जिला दमोह द्वारा विक्रेता कल्लू, भल्लू एवं दशरथ पुत्र भागीरथ कुर्मी से भूमि का वयनामा एवं बाजारू मूल्य 1,95,000/– दर्शाते हुए क्रय की है। उप–पंजीयक, पथरिया ने प्रश्नाधीन मूल्य 66,000/–प्रति एकड के हिसाब से तय करते हुए मुद्रांक संग्राहक, दमोह को प्रेषित किया। मुद्रांक संग्राहक ने आदेश दिनांक 03.02.1999 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि मूल्य 5,15,000/– निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क 41,257/–जमा करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 31.12.2001 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है।	

3– प्रकरण में अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि विवादित भूमि के मूल्यांकन को सिद्ध करने के भार के संबंध में जो आपत्ति उठायी थी, उस पर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, जबकि सिद्ध करने का भार उप–पंजीयक पर होता है। कर्मचारी का प्रतिवेदन स्वंय साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में 1992 आर.एन.1986 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। विक्रित सम्पत्ति नगर पंचायत सीमा के बाहर स्थित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा जो कृषि भूमि क्रय की थी, उस पर गाईडलाईन के अनुसार मुद्रांक शुल्क दिया गया था। ऐसी स्थिति में जो आदेश मुद्रांक संग्राहक, दमोह एवं अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर पारित किये गये, वह अपास्त किये जाये तथा वर्तमान अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4– प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि वर्तमान प्रकरण में अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है, उसमें अपीलार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील निरस्त कर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि मुद्रांक संग्राहक, दमोह द्वारा बिना किसी कारण के अपीलार्थीगण

पर कमी मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क जमा कराये जाने के आदेश दिये गये है, यह आदेश साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि किसी कर्मचारी का प्रतिवेदन स्वंय में साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में 1992 आर.एन. 86 में जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है, उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मूल्यांकन को सिद्ध करने का भार उप–पंजीयक पर होता है, जो उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। विवादित भूमि नगर पंचायत सीमा से बाहर स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर जो मुद्रांक शुल्क, मुद्रांक संग्राहक, दमोह एवं अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा निर्धारित किया गया है, उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 549/बी–105/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2001 एवं मुद्रांक संग्राहक, दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/बी–105/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 03.02.1999 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते है, अपील स्वीकार की जाकर विक्रय पत्र में दर्शाया गया मूल्य मान्य किया जाता है।

सदस्य